इस मुख्यालय के दिनांक 22 मार्च 1995 के पत्रांक 15460/रा/ हिन्दी अनुभाग के अन्तर्गत जारी किया गया।

स्थायी प्रचालन प्रक्रिया

मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय और इसकी अधीनस्थ यूनिटों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा चल शील्ड योजना लागू करना

1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 12 जून 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/12013/2/76-रा० भा० (क-2) में जारी अनुदेशों के अनुपालन में अपर महानिदेशक सीमा सड़क की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई सीमा सड़क महानिदेशालय की 37वीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सीमा सड़क महानिदेशालय और इसकी अधीनस्थ यूनिटों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा चल शील्ड योजना लागू की जानी चाहिए ।

2. तदनुसार मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी की प्रगति के प्रति उत्साहवर्धक माहौल कायम करने के उद्देश्य से राजभाषा शील्ड प्रदान करने की योजना लागू की गई है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित शील्डें विजेताओं को प्रदान की जाएगी । यह योजना 01 अप्रैल 1995 से प्रभावी होगी :-

(क) प्रथम शील्ड - मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय के सभी निदेशालयों के लिए ।

(ख) द्वितीय शील्ड - परियोजना मुख्यालयों और स्वतंत्र इकाइयों जैसे कि ग्रेफ केन्द्र, अभिलेख कार्यालय, पूर्वी बेस कार्यशाला, पूर्वी भंडार प्रभाग, पश्चिमी बेस कार्यशाला और पश्चिमी भंडार प्रभाग के लिए ।

(ग) तृतीय शील्ड - हर एक परियोजना की अधीनस्थ यूनिटों के लिए जिन्हें शील्ड संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाएगी ।

3. मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय के निदेशालयों और परियोजना मुख्यालयों को शील्ड प्रदान करने के लिए मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा जो मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय के विभिन्न निदेशालयों और परियोजना मुख्यालयों/स्वतंत्र इकाइयों द्वारा किए गए हिन्दी के कार्यों का मूल्यांकन करेगी और महानिदेशक, सीमा सड़क को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी । मूल्यांकन के लिए कुल 100 प्राप्तांक निर्धारित किए गए हैं जिसमें से 70 प्राप्तांक हिन्दी में किए गए कार्य के लिए और 30 प्राप्तांक भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई विशेष उपलब्धियों के लिए निर्धारित हैं । मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय का प्रत्येक निदेशालय और परियोजना मुख्यालय/स्वतंत्र इकाइयाँ जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2 (ख) में उल्लेख किया गया है, वर्ष के दौरान किए गए कार्य का विवरण संलग्नक "I" में दिए गए प्रारूप के अनुसार मूल्यांकन समिति के विचार के लिए भेजेगी जो मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय/हिन्दी अनुभाग में प्रति वर्ष 10 अप्रैल तक निश्चित रूप से पहुँच जाना चाहिए । संलग्नक "I" में दिए गए प्रारूप के अनुसार 01 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 1996 तक किए गए कार्य का विवरण दर्शाते हुए सभी फार्मेशनों द्वारा जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2 (क) और (ख) में उल्लिखित है, अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय में 10 अप्रैल 96 तक पहुँच जानी चाहिए ।

मार्च 1995 के पत्रक 17460/-

4. परियोजनाओं की अधीनस्थ यूनिटों को शील्ड प्रदान करने के लिए परियोजना मुख्यालयों में एक समिति गठित की जाएगी जो उनके अधीन कार्यरत यूनिटों द्वारा वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का मूल्यांकन करेगी और अपनी रिपोर्ट/सिफारिश मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत करेगी । राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए सबसे अच्छा कार्य करने वाली यूनिट को परियोजना स्थापना दिवस या अन्य किसी समारोह के दौरान राजभाषा शील्ड मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाएगी ।

5. परियोजनाओं की अधीनस्थ यूनिटों को राजभाषा शील्ड प्रदान करने के लिए बजट की व्यवस्था संबंधित परियोजना मुख्यालय के बजट से की जाएगी । मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय के निदेशालयों और परियोजना मुख्यालयों को राजभाषा शील्ड प्रदान करने के लिए बजट की व्यवस्था मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय के बजट आबंटन से की जाएगी ।

6. कृपया इस स्थायी प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के सार को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी में लाएं और अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिन्दी में करें ।

****

मुख्यालय दिनांक 27 मार्च 1995 के पत्रांक 17460/ हिन्दी अनुभाग के अन्तर्गत जारी किया गया।

STANDARD OPERATING PROCEDURE

INTRODUCTION OF RAJBHASHA MOBILE SHIELD SCHEME FOR ENCOURAGING THE USE OF HINDI IN THE OFFICE OF HQ DGBR AND ITS SUBORDINATE UNITS

1. It has been decided in the 37th meeting of Official Language Implementation Committee of Dte GBR, held on 30th Jan 1995 under the Chairmanship of ADG that a scheme for awarding a Shield to encourage the use of Hindi in the Offices of Dte GBR and its subordinate units be introduced in accordance with the instructions contained in Govt. of India, Min. of Home Affairs, Deptt. Of Official Language O.M. No. 2/12013/ 2/76-O.L (A-2) dated 12 Jun 1979.

2. Accordingly, a Shield Scheme has been introduced to encourage the use of Hindi in HQ DGBR and its subordinate units under which the following shields will be given every year. This scheme will come into force wef 1st Apr 1995.:-

(a)	First Shield	- For Dtes of HQ DGBR
(b)	Second Shield	- For Project HQrs and Independent formations like GREF Centre, Record Office, EBW, ESD, WBW and WSD.
(c)	Third Shield	- For subordinate units of each Project which will be awarded by the Chief Engineer concerned.

3. For awarding shield to Dtes of HQ DGBR and Project HQrs, an Assessment Committee shall be constituted in HQ DGBR who will evaluate the work done in Hindi by various Dtes of HQ DGBR and Project HQrs/Independent units and render its recommendation to DGBR. To facilitate assessment, a total of 100 marks are allotted. Out of which 70% marks are earmarked for quantum of work done in Hindi and 30% marks for special achievements in implementation of O.L policy of the Govt. Every Dte of HQ DGBR and Project HQrs/Independent units as mentioned in para 2 (b) will have to submit details of work done during the assessment year for consideration of Assessment Committee as per Annexure I to reach HQ DGBR by 10th of Apr each year. The first performance report as per Annexure I shall be submitted covering the period from 01 Apr 95 to 31 Mar 96 by all the formations mentioned in Para 2 (a) to (b) to reach HQ DGBR (Hindi Section) by 10th Apr 96.

4. For awarding Shield to the subordinate units of Projects, an Assessment Committee will be set up at Project HQrs who will evaluate the performance of various units under command and submit its report/recommendations to Chief Engineer. The unit adjudged best in implementation of Hindi may be awarded "Rajbhasha Shield" on Project raising day or in any other function.

5. Arrangement for awarding Rajbhasha Shield to unit of Project shall be made by the Project HQrs concerned out of their budget allotments. Arrangement for the Rajbhasha Shield to be presented to be Dte/Project HQrs shall be made out of budget allotment of HQ DGBR.

6. The contents of this SOP may be brought out to the notice of all Officers/Pers and encourage them to do their maximum works in Hindi.